उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

विविध वाद संख्या– 03/2015

श्रीमती समरी देवी बनाम झारखण्ड राज्य।

आदेश

आवेदिका श्रीमती समरी देवी पति श्री खीरू साव, 54/3C देवेन्द्र चन्द्र दे रोड, टेगरा,कोलकत्ता द्वारा विविध दायर किया गया है। आवेदिका द्वारा निम्न भूमि का रसीद वर्ष 2011–12 से निर्गत किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है:–

मौजा	थाना	वर्त्तमान पता	जिला	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
कैलाखण्डहर	मरकच्चो	नवलशाही	कोडरमा	63	05	118 डी0
कैलाखण्डहर	मरकच्चो	नवलशाही	कोडरमा	63	06	260 डी0
कैलाखण्डहर	मरकच्चो	नवलशाही	कोडरमा	02	07	435 डी0
					कुल	813 डी0

जमीन जो विक्रय संख्या 6416 दिनांक 24.10.2008 द्वारा श्रीमती रूकमनी देवी सुखानी पति प्रताप चन्द्र सुखानी के मुख्तारनामा / पावर ऑफ अटार्नी श्रीमती वीणा मोहता पति एस0 के0 मोहता से खरीद कर दखलकार हैं, का रसीद वर्ष 2011–12 से निर्गत किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र में यह लिखा गया है कि खरीदी गई भूमि के दखल में रहते दाखिल खारीज नामांतरण वाद संख्या–1225/2008–09 दिनांक 11.02.2009 को पूर्ण जाँचोपरान्त, शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए मालगुजारी रसीद 2010–11 तक निर्गत की गई है।

आवेदिका दिनांक 25.08.2015 से 22.12.2015 तक (10 तिथियों) लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 07.01.2016 को अंतिम मौका दिया गया था किन्तु उक्त तिथि के बाद भी 06 तिथियों तक लगातार आवेदिका अनुपस्थित चले आ रहे है जिससे स्पष्ट होता है कि बारंबार मौका देने के बावजूद आवेदिका अनुपस्थित है। इस वाद में आवेदिका को कोई विशेष अभिरूचि नहीं है।

अतः इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा

उपायुक्त
कोडरमा